

राजस्व अपील संख्या 31/2022
अनवान
राणाराम बनाम तहसीलदार सेखाला वगैरा

दिनांक 22 -03-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 27/2021 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम ग्राम करणीनगर मे पारित आदेश दिनांक 15-11-2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है।

वकील अपीलांट श्री रुधाराम चौधरी उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15-11-2021 एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया, अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमे पक्षकार बनाये बिना, नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये हमारी खातेदारी भूमि मे से रास्ता निकाल दिया जबकि विधि के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि बिना खातेदार की सहमति के तथा उसको सुने बिना खातेदारी भूमि का रकबा कम नहीं किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बधी जारी परिपत्र मे भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्याय संगत नहीं है।

इस सम्बध मे अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रथमतः अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोके जाने का निवेदन किया तथा विकल्प मे यह भी कथन किया कि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय मे हमे सुनवाई का अवसर देकर, मौके फर्द हमारी उपस्थिति मे तैयार की जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।



वकील
श्री. रुधाराम चौधरी
बोधपुर

हमने अपीलान्त अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश जो ग्राम करणीनगर तहसील सेखाला के संबंध में पारित किये गये आदेश दिनांक 15-11-2021 एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्रादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपीलान्त की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 27/2021 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम ग्राम करणीनगर में पारित आदेश दिनांक 15-11-2021 को निरस्त किये बिना इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलान्त एवं हितबद्ध खातेदारों को सुनवाई व नोटिस जारी कर, उसे सुनकर उसकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण के उक्त कार्यवाही एक माह में सम्पादित करते हुए पक्षकारान के खातेदारी व भूमि में से रास्ते के सम्बन्ध में पुनः विधिसममत निर्णय पारित करें। तब त अपीलाधीन आदेश में वर्णित अपीलान्त के खातेदारी भूमि खंसरा नम्बर 1 ग्राम करणीनगर पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें। इस अतिरिक्त निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फौजदारी नम्बर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



बति - सम्भागीय वायुत
बोधपुर